

C.S.I.R – NATIONAL PHYSICAL LABORATORY
NOTICE INVITING TENDERS (04/0271/2024-W&S)

1. Online e-tenders item rate tenders **in single bid (two envelop) system**, are hereby invited, online through e-tendering portal <https://etenders.gov.in>, for the work of “**Construction of Rain Water Harvesting System in NPL Campus**” from the contractors working with OEM, CPWD, Railways, MES, Post & Tele-graph Department and /or from those who have carried out similar works for CSIR or its laboratories, Govt./ Semi Govt. Organizations. Only those agencies are eligible who have successfully carried out minimum one/two/three similar works (Construction of Rain Water Harvesting System / Construction of Underground Water Retaining Structures/ Civil Construction works), each costing not less than Rs 113.60 lacs/ 85.20 lacs/ 56.80 lacs respectively within last seven years, ending on last date of previous month. The tenderers are required to produce proof of fulfilling these conditions, satisfactory completion certificates along with PAN Card, GST Registration.
2. **The estimate has been prepared as per the Delhi Jal Board approved drawing/design. However, any modification is to be done by DJB before the start of construction work. The contractor should execute the work as suggested/modified by DJB, if any. Further, the contractor is to submit an approval certificate of the newly constructed Rain Water Harvesting System work from DJB after completion of the work. However, any statutory fees/ charges will be reimbursed to the contractor/ firm subject to deposit of receipt.**
3. Estimated Cost for the work:
Civil Work - Rs. 141.962 lacs
4. Time for carrying out the work will be **180 days** and the date of commencement shall be reckoned from the tenth day of issue of award letter.
5. **Tender Fee (Non-refundable) Rs 1,500/- and Earnest Money Deposit Rs 2,84,000/- are to be deposited through RTGS/NEFT in favour of Director, NPL (Canara Bank, NPL, PUSA, Delhi A/C No: 91002010030018, IFSC Code: CNRB0019100)**
6. The entire bid document contains the following
 - A. Document related to eligibility (Envelop-I)
 - B. Financial Bid (BOQ) (Envelop-II)

Documents to be uploaded in support of eligibility:

- a. Receipt of deposit of Tender Cost and EMD,
- b. **Experience certificates of similar works completed satisfactorily as per NIT**, The completion certificate should contain all necessary information including date of start & completion, amount and scope of work etc.
- c. Copy of GST registration number & PAN Card.
- d. Tender acceptance letter (as per Annexure-I) (A letter in enclosed format as per annexure-I is to be given by bidder for acceptance of tender document including NIT, terms & conditions etc. uploaded by the department. These documents will be part of agreement with the lowest bidder).

- e. The defaulter vendor, in terms of complaints received, regarding delay in execution of work & quality against his work in NPL or any other organizations. If comes in notice at any stage at the time of tender the same will be rejected.
7. The entire documents uploaded by the eligible agencies, shall be opened in two stages, in the presence of tenderers or their representatives if any

Stage 1: Envelop-1 will be opened documents related to eligibility will be opened by TOC on specified date and time. The bidders shall be qualified after scrutiny of the credentials submitted by the Tenderers.

All documents scanned & uploaded by the agency, should be clearly visible. If any of the above documents is found missing/not clear in reading or non satisfactory, the tender shall be rejected. No further clarification shall be sought from the tenderer. The decision of T.O.C. shall be final. Financial bid of such agencies shall not be opened.

Stage 2: Envelop-2, i.e. BOQ will be opened. Financial bids shall be opened only of qualified bidders on notified date and time.

In envelop-II the bidders should upload the complete BOQ carefully. In case any document is found tempered/ incomplete/ missing/ unreadable etc., the tender shall be rejected. No further clarification shall be sought from the tenderer. The decision of T.O.C. shall be final. Financial bid of such agencies shall not be considered.

The notification shall be available on the web site.

The critical dates are as follows:

Sl. No	Schedule of activities	Date and time
1.	Publish date on CPP portal	25/11/2025
2.	Bid document downloaded date	25/11/2025
3.	Bid submission start date	25/11/2025
4.	Bid submission end date	15/12/2025, 02:00 PM
5.	Prequal. (eligibility) bid opening date (Cover-I)	16/12/2025, 02:30 PM
6.	Financial bid opening date (Cover-II)	will be informed later

The certified copies of all credentials related to eligibility criteria are to be submitted by lowest bidder within a week of opening of financial bid (which has been uploaded for tender). In case the lowest bidder fail to submit the said document, the tender may be rejected without any notice.

8. The instructions for the Submission of e-tender are available on the CPP portal i.e., <https://etenders.gov.in/eprocure/app> under the Instruction for online Bid Submission". All the intending tenders are requested to go through these instructions before entering into the process of e-tendering.
9. The tenderers are advised to go through website to see corrigendum/addendum, if any.
- For detail please log on www.nplindia.org or <https://etenders.gov.in>

10. The tenderer shall submit tender acceptance letter as per Annexure-I. The Scanned copy of the affidavit shall be uploaded in Cover-I and the Original Copy to be submitted by L-1, within one week of opening of financial bid.
11. The Employer does not bind himself to accept the lowest or any tender and reserves to himself the right of accepting the whole or any part of the tender and the tenderer shall be bound to perform the same at the rates quoted.
12. Canvassing in connection with the tenders is prohibited and the tenders submitted by the contractor who resort to canvassing are liable for rejection.
13. The tenderer shall not be permitted to tender for works in the concerned unit of CSIR in which a relative is posted in the grade between Controller of Administration and Junior Engineer, (both inclusive) He shall also intimate the names of persons who are working with him in any capacity or subsequently employed by him and who are relatives as mentioned above.

Note:-

A person shall be deemed to be a relative of another if and only if, (a) they are members of a Hindu undivided family; or (b) they are husband and wife; or (c) the one is related to the other in the following manner: Father, Mother (including step mother), Son (including step son), Son's wife, Daughter (including stepdaughters), Father's father, Son's son, Son's son's wife, Son's daughter, Son's daughter's husband, Daughter's husband, Daughter's son, Daughter's son's wife, Daughter's daughter, Daughter's daughter's husband, Brother (including step brother), Brother's wife, Sister (including step sister), Sister's husband.

14. Tender submitted shall remain valid for 90 days from the date of opening for the purpose of acceptance and award of work, validity beyond 90 days from the date of opening shall be by mutual consent.
15. In e-tendering, tenderer can quote the rates in figure only. The rates in words, amount of each item and total is generated automatically. Therefore, the rate quoted by the tenderer in figure is to be taken as correct.
16. The tenderer should carefully see the contract drawing (as applicable) as no claim whatsoever will be entertained for any alleged ignorance thereof.
17. Before tendering, the tenderer shall inspect the site to fully acquaint himself about the condition in regard to accessibility of site, nature and extent of ground, working condition of site and locality including stacking of materials, installations of tools and plants (T&P) etc., conditions affecting accommodations and movement of labour etc. required for the satisfactory execution of the work contract. No claim whatsoever on such account shall be entertained by the Employer in any circumstances.
18. If any tenderer withdraws the tender before award of work or makes any modification in terms and conditions of the tenders which are not acceptable to the department, then NPL shall without prejudice to any right or remedy be at liberty to forfeit 50% of earnest money. The tenderer shall not be allowed to participate in re-tender.

19. Full earnest money will be forfeited if the contractor fails to commence the work as per letter of award.
20. Except writing rates in figure only, the tenderer should not write any conditions or make any changes, additions, alterations and modifications.
21. Some of the provisions of General Conditions of Contract are given below. Interpretation however shall be as given in the General Conditions of Contract.

(a) DEFECTS LIABILITY PERIOD:

Twelve months from the date of completion as certified by the Employer.

(b) MINIMUM VALUE OF WORK FOR THE INTERMEDIATE CERTIFICATE:

Rs. 23.70 lacs (Rupees twenty three lacs seventy thousand)

Intermediate certificate for a lesser amount can be admitted for payment at the discretion of the Engineer.

- (c) A sum @ 10% of the gross amount of the bill shall be deducted from each running bill of the contractor till the sum along with the sum already deposited as earnest money, will amount to security deposit of 5% of the tendered value of the work. In addition, the contractor shall be required to deposit an amount equal to 5% of the tendered value of the contract as Performance security within the period prescribed for commencement of work in the letter of award issued to him.
- (d) COMPENSATION: Contractor shall pay as compensation an amount equal to one per cent or such smaller amount as the employer (whose decision in writing shall be final) may decide on the cost of the whole work as shown in the agreement, for every week that the work remains un-commenced or unfinished or due quantity of work remains incomplete after the proper dates. Compensation to be paid shall not exceed 10% of the estimated cost of the work as shown in the agreement.

Conditional tenders, or tenders wherein the tenderer has not followed e-tendering procedure strictly, shall be rejected. The decision of T.O.C shall be final.

22. Purchase preference will be given to Central Public Sector Enterprise (CPSE) for award of works costing between Rs. 5 crores to Rs. 100 crores as per provisions contained in para 14.6.1 in CPWD Manual 2003 and OM No. DPE/13(12)-2003-Fin. Vol. II dated 18.07.05 issued by department of Public Sector Enterprises, Govt. of India.
23. For composite work, wherein electrical work is minor component, the electrical work should be got executed only through agency which hold valid electrical license.
24. The contractor is to submit the computerized M.B. and bills, on monthly basis subject to minimum value of work for Intermediate certificate. R.A. bills/Final bill should be submitted well within time after joint measurement.
25. If there is any discrepancy found in the tender document of Hindi version then English version will be followed.

Approval
Head, W&S
28/11/2015

सी.एस.आई.आर – राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला
नोटिस भेजने वाले निविदायें (04/0271/2024-कार्य एवं सेवा)

1. ऑनलाइन ई-निविदाएं मद दर निविदायें एकल बोली (दो लिफाफा) प्रणाली में ई-टेडरिंग पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित कार्य के लिए **“एनपीएल परिसर में वर्षा जल संचयन प्रणाली का निर्माण।”** ऑनलाइन द्वारा आमंत्रित की जाती है, वे ठेकेदार जो निम्नलिखित विभागों में कार्य कर रहे हैं, जैसे सीपीडब्ल्यूडी, रेलवे, एमईएस, पोस्ट ऑफिस टेलीग्राफ विभाग और/या सीएसआईआर या इसकी प्रयोगशाला सरकारी/अर्ध सरकारी संगठन आदि केवल वही एजेंसीयों निविदा के पात्र है जिनके पास सफलता पूर्वक मिनिमम एक/दो/तीन समान कार्य (वर्षा जल संचयन प्रणाली का निर्माण/भूमिगत जल धारण संरचनाओं का निर्माण/सिविल निर्माण कार्य) प्रत्येक की लागत क्रमशः रु. 113.60 लाख/85.20 लाख/56.80 लाख रुपये से कम नहीं हो जो पिछले सात वर्षों के भीतर पिछले महीने की अन्तिम तारीख को समाप्त हुए हो। इन शर्तों को पूरा करने के लिए निविदाकारों को पेन कार्ड, जीएसटी पंजीकरण के साथ-साथ कार्यों का संतोषजनक पूर्णता प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।
2. अनुमान दिल्ली जल बोर्ड द्वारा स्वीकृत ड्राइंग/डिजाइन के अनुसार तैयार किया गया है। हालाँकि, निर्माण कार्य शुरू होने से पहले डीजेबी द्वारा कोई भी संशोधन किया जाना है। ठेकेदार को डीजेबी द्वारा सुझाए गए/संशोधित किए गए अनुसार कार्य निष्पादित करना चाहिए, यदि कोई हो। इसके अलावा, ठेकेदार को काम पूरा होने के बाद डीजेबी से नवनिर्मित वर्षा जल संचयन प्रणाली कार्य का एक अनुमोदन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। हालाँकि, रसीद जमा करने के अधीन ठेकेदार/ फर्म को किसी भी वैधानिक शुल्क/प्रभार की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
3. कार्य की अनुमानित लागत :
सिविल कार्य – रु. 141.962 लाख
4. कार्य को करने का समय **180 दिन** होगा और प्रारंभ होने की तिथि अवार्ड पत्र जारी करने के दसवें दिन से मानी जायेगी।
5. निविदा शुल्क (गैर-वापसी योग्य) रु. 1,500/- और बयाना जमा राशि रु. 2,84,000/- निदेशक, NPL (केनरा बैंक, NPL, PUSA, दिल्ली A/C No: 91002010030018, IFSC कोड: CNRB0019100) के पक्ष में RTGS/ NEFT के माध्यम से जमा होनी चाहिए।
6. संपूर्ण बोली दस्तावेज में निम्नलिखित शामिल हैं
ए. पात्रता मानदंड से संबंधित दस्तावेज (लिफाफा-I)
बी. वित्तीय बोली (बीओक्यू) (लिफाफा-II)
पात्रता के समर्थन में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज:
ए. निविदा लागत और ईएमडी जमा करने की रसीद,
बी. एनआईटी के अनुसार संतोषजनक रूप से पूर्ण किए गए समान कार्यों के अनुभव प्रमाण पत्र, पूर्णता प्रमाण पत्र में सभी आवश्यक जानकारी होनी चाहिए जिसमें प्रारंभ और पूर्णता, राशि और कार्य का दायरा शामिल हैं।
सी. जीएसटी पंजीकरण संख्या और पेन कार्ड की प्रति
डी. निविदा स्वीकृति पत्र (अनुलग्नक-I के अनुसार) (विभाग द्वारा अपलोड किए गए एनआईटी, नियम और शर्तों आदि सहित निविदा दस्तावेज की स्वीकृति के लिए अनुबंध- I के अनुसार संलग्न प्रारूप में एक पत्र बोलीदाता द्वारा दिया जाना है। ये दस्तावेज करार का हिस्सा होंगे सबसे कम बोली लगाने वाले के साथ समझौता)।

ई. एनपीएल या किसी अन्य संस्था में कार्य के निष्पादन में देरी और गुणवत्ता के संबंध में प्राप्त शिकायतों के आधार पर, यदि निविदा के समय किसी भी स्तर पर यह ध्यान में आती है, तो डिफॉल्टर विक्रेता को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

7. पात्र एजेंसियों द्वारा अपलोड किया गया संपूर्ण दस्तावेज, दो चरणों में, खोला जाएगा, निविदाकारों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति यदि कोई हो

चरण 1 : लिफाफा-1 खोला जाएगा पात्रता मानदंड से संबंधित दस्तावेज टीओसी द्वारा निर्दिष्ट तिथि और समय पर खोले जाएंगे निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए क्रेडेंशियल्स की जांच के बाद ही बोली/ बिडस योग्य होगी। एजेंसी द्वारा स्कैन और अपलोड किए गए सभी दस्तावेज स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। यदि कोई उपरोक्त दस्तावेज गायब पाया गया/ पढ़ने में स्पष्ट नहीं है या संतोषजनक नहीं है, निविदा खारिज कर दी जायेगी तथा निविदाकर्ता से कोई स्पष्टीकरण भी नहीं मांगा जाएगा। टीओसी का निर्णय अंतिम होगा और ऐसी एजेंसियों की वित्तीय बोली भी नहीं खोली जाएगी।

चरण 2 : लिफाफा-2, अर्थात बीओक्यू खोला जाएगा वित्तीय बोली अधिसूचित तिथि और समय पर केवल योग्य बोलीदाताओं की खोली जाएगी। लिफाफा-2 में बोलीदाताओं को पूरा बीओक्यू सावधानीपूर्वक अपलोड करना चाहिए। यदि कोई दस्तावेज टेम्पर्ड / अपूर्ण / गायब / अपठनीय आदि पाया जाता है, तो निविदा खारिज कर दी जाएगी तथा निविदाकर्ता से स्पष्टीकरण भी नहीं मांगा जाएगा। टीओसी का निर्णय अंतिम होगा। ऐसी एजेंसियों की वित्तीय बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।

अधिसूचना वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं:

क्र.स.	गतिविधियों की अनुसूची	दिनांक और समय
1	CPP पोर्टल पर प्रकाशित तिथि	25 / 11 / 2025
2	बोली दस्तावेज डाउनलोड की तिथि	25 / 11 / 2025
3	बोली जमा करने की तिथि	25 / 11 / 2025
4	बोली जमा करने की अंतिम तिथि	15 / 12 / 2025, दोपहर 02:00 बजे
5	प्रीक्वल. (पात्रता) बोली खोलने की तिथि (कवर-I)	16 / 12 / 2025, दोपहर 02:30 बजे
6	वित्तीय बोली खोलने की तिथि (कवर-II)	बाद में सूचित किया जायेगा

पात्रता मानदंड से संबंधित सभी साख की प्रमाणित प्रतियां न्यूनतम बोली लगाने वाले के वित्तीय बोली खोलने के एक सप्ताह के भीतर (जो निविदा के लिए अपलोड किया गया है)। प्रस्तुत किया जाना है यदि न्यूनतम बोलीदाता उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो निविदा को बिना किसी सूचना के अस्वीकार कर दिया जा सकता है।

8. ई-निविदा प्रस्तुत करने के लिए निर्देश सीपीपी पोर्टल <https://etenders.gov.in/eprocure/app>, पर उपलब्ध है। ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के लिए निर्देश के तहत सभी इच्छुक निविदाओं से अनुरोध है कि वे ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में प्रवेश करने से पहले इन निर्देशों का पालन करें।
9. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट के माध्यम से शुद्धि पत्र/ परिशिष्ट को देखें, यदि कोई हो।

विस्तार के लिए कृप्या <https://www.nplindia.in> या <https://etenders.gov.in/eprocure/app> पर लॉग ऑन करें

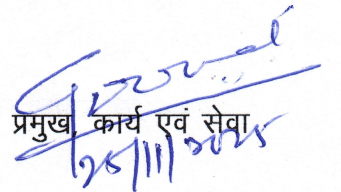
10. निविदाकर्ता अनुबंध-1 के अनुसार निविदा स्वीकृति पत्र प्रस्तुत करेगा। शपथ पत्र की स्कैन की हुई कॉपी और मूल प्रति कवर-1 में अपलोड किया जाएगा वित्तीय बोली खोलने के एक सप्ताह के भीतर, एल-1 द्वारा हलफनामे की मूल प्रति को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
11. नियोक्ता खुद को सबसे कम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करता है और खुद को निविदा के पूरे या किसी भी हिस्से को स्वीकार करने का अधिकार रखता है और निविदाकर्ता उद्धृत दरों पर ही प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा।
12. निविदाओं के सिलसिले में प्रचार निषिद्ध है और निविदाओं ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत निविदाएं जो कैनवसिंग का सहारा लेते हैं, वे अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं।
13. निविदाकर्ता को सीएसआईआर की संबंधित इकाई में काम के लिए निविदा करने की अनुमति नहीं होगी, जिसमें एक रिस्तेदार को प्रशासन नियंत्रक और कनिष्ठ अभियंता के बीच ग्रेड में तैनात किया जाता है, (दोनों समावेशी) वह उन व्यक्तियों के नाम भी बताएगा जो उनके साथ काम कर रहे हैं किसी भी क्षमता में या बाद में उसके द्वारा नियोजित और जो कि ऊपर बताए अनुसार रिस्तेदार हैं।

नोट:-

एक व्यक्ति को यदि और केवल यदि, (क) वे हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं, तो उसे दूसरे का प्रतिबंध माना जाएगा; या (बी) वे पति और पत्नी हैं; या (ग) एक दूसरे से संबंधित हैं: पिता, माता (सौतेली माँ सहित), पुत्र (सौतेला पुत्र सहित), पुत्र की पत्नी, पुत्री (सौतेली बेटियाँ सहित), पिता का पिता, पुत्र का पुत्र, पुत्र के पुत्र की पत्नी, बेटे की बेटी, बेटे की बेटी का पति, बेटी का पति, बेटी का बेटा। बेटी के बेटे की पत्नी, बेटी की बेटी, बेटी की बेटी का पति, भाई (सौतेला भाई सहित), भाई की पत्नी, बहन (सौतेली बहन सहित), बहन का पति।

14. निविदा प्रस्तुत स्वीकृत के प्रयोजन के लिए खोलने की तारीख से 90 दिनों के लिए वैध रहेगा – खोलने की तारीख से 90 दिनों के बाद है और काम के पुरस्कार, वैधता आपसी सहमति से किया जाएगा।
15. ई-टेंडरिंग में, निविदाकर्ता केवल आंकड़े में दरों का उद्धरण कर सकता है। शब्दों में दरों, प्रत्येक आइटम की राशि और कुल स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है। इसलिए, निविदाकर्ता द्वारा बताई गई दर को सही माना जाना चाहिए।
16. निविदाकर्ता को अनुबंध ड्राइंग (जैसा कि लागू हो) को ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि किसी भी कथित अज्ञानता के लिए कोई भी दावा नहीं किया जाएगा।
17. निविदा करने से पहले, निविदाकर्ता साइट की पहुंच, प्रकृति और जमीन की सीमा, साइट की स्थानीय स्थिति और सामग्री के ढेर, उपकरणों और पौधों (टी एंड पी) की स्थापना सहित कार्य की स्थिति के बारे में पूरी तरह से परिचित होने के लिए साइट का निरीक्षण करेगा। कार्य अनुबंध के संतोषजनक निष्पादन के लिए आवश्यक आवास और श्रम के आंदोलन आदि को प्रभावित करने वाली स्थितियां। किसी भी परिस्थिति में नियोक्ता द्वारा इस तरह के खाते पर कोई दावा नहीं किया जाएगा।
18. यदि कोई भी टेंडर काम करने से पहले टेंडर वापस ले लेता है या टेंडर के नियम और शर्तों में कोई संशोधन करता है जो विभाग को स्वीकार्य नहीं है, तो एनपीएल किसी भी अधिकार के पक्षपात के बिना या उपाय के लिए 50% बयाना देने के लिए स्वतंत्रता पर होगा। निविदाकर्ता को पुनः निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
19. यदि ठेकेदार पुरस्कार के पत्र के अनुसार काम शुरू करने में विफल रहता है तो पूरी कमाई का पैसा जब्त कर लिया जाएगा।

20. केवल आंकड़ा में लेखन दरों को छोड़कर, निविदाकर्ता को किसी भी स्थिति को नहीं लिखना चाहिए या कोई परिवर्तन, परिवर्धन, परिवर्तन और संशोधन नहीं करना चाहिए।
21. अनुबंध की सामान्य शर्तों के कुछ प्रावधान नीचे दिए गए हैं। हालांकि व्याख्या अनुबंध की सामान्य शर्तों में दी जाएगी।
- (ए) परिभाषा देयता अवधि:
नियोक्ता द्वारा प्रमाणित पूर्ण होने की तारीख से बारह महीने।
- (ख) अंतरिम प्रमाण पत्र के लिए काम का न्यूनतम मूल्य:
रु. 23.70 लाख (रुपए तेइस लाख सत्तर हजार)
- अभियंता के विवके पर भुगतान के लिए कम राशि के लिए मध्यवर्ती प्रमाण पत्र भर्ती किया जा सकता है।
- (ग) बिल की सकल राशि का **10%** राशि ठेकेदार के प्रत्येक चल रहे बिल से निकाली जाएगी, जब तक कि राशि पहले से ही बयाना राशि के रूप में जमा की जाती है, निविदा मूल्य के **5%** की जमा राशि की राशि होगी काम की। इसके अलावा, ठेकेदार को अनुबंध के निविदा मूल्य के **5%** के बराबर राशि जमा करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसे जारी किए गए पुरस्कार के पत्र में काम शुरू करने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर प्रदर्शन सुरक्षा
- (घ) मुआवजा: ठेकेदार मुआवजे के रूप में एक प्रतिशत या इतनी कम राशि के बराबर भुगतान करेगा जैसा कि नियोक्ता (जिसका लिखित में निर्णय अंतिम होगा) पूरे कार्य की लागत पर निर्णय ले सकता है जैसा कि समझौते में दिखाया गया है, हर के लिए सप्ताह कि कार्य अप्रयुक्त या अधूरा रहता है या उचित तिथियों के बाद कार्य की मात्रा अपूर्ण रहती है। भुगतान किया जाने वाला मुआवजा कार्य की अनुमानित लागत का **10%** से अधिक नहीं होगा जैसा कि समझौते में दिखाया गया है।
22. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) को सीपीडब्ल्यू मैनुअल 2003 और कार्यालय ज्ञापन संख्या डीपीई/13 (1)-2003 के पैरा 14.6.1 में निहित प्रावधानों के अनुसार 5 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये के बीच के कार्यों के पुरस्कार के लिए खरीद वरीयता दी जाएगी, वित्तीय खंड II दिनांक 18/07/05 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया।
23. समग्र कार्य के लिए, जिसमें विधुत कार्य मामूली घटक है, विधुत कार्य को केवल उस एजेंसी के माध्यम से निष्पादित किया जाना चाहिए जो वैध विधुत लाइसेंस रखती है।
24. इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र के लिए न्यूनतम मूल्य के अधीन मासिक आधार पर ठेकेदार को कम्प्यूटरीकृत एमबी और बिल जमा करना है। संयुक्त माप के बाद समय के भीतर आरए बिल/ अंतिम बिल अच्छी तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
25. यदि हिंदी संस्करण के निविदा दस्तावेज में कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी संस्करण का पालन किया जाएगा।


प्रमुख कार्य एवं सेवा
7/8/11/2015